

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त, कुल सचिव/रजिस्ट्रार केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ। (नाम से)
- 2-समस्त प्रबन्धक/कुलसचिव/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य सम्बन्धित विद्यालय/इंजीनियरिंग कालेज/पैरामेडिकल/पॉलीटेक्निक/महाविद्यालय/आईटीआई/मान्यता प्राप्त प्रदाता संस्थाएँ जनपद लखनऊ
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ। (नाम से)

पत्रांक-6-1157 / स0क0/द0मो0छा0/2025-26 दिनांक 13 जून, 2025

विषय:- छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी 1157 दिनांक 03 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांकित 29.05.2025 द्वारा अनुसूचित जाति पूर्वदशम व अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर वर्ष 2025-26 में कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं, जिसमें से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना है-

1. Apar (Id Automated Permanent Academic Account Registry) को भारत सरकार में डाटा शेयर करते समय उपलब्ध कराने जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में यह फील्ड ऑप्शन है। अपार आई.डी को कैचर करने के लिए छात्रवृत्ति के पोर्टल को सम्बन्धित शिक्षा विभागों से इंटीग्रेट कराया जाना है।
2. SNO/DNO/INO/HOI तथा छात्रों का आधार बेस बायोमैट्रिक आथेन्केशन व ई.के.वाई.सी इस वर्ष अनिवार्य किया गया है।
3. One time Registration (OTR) व डी-डुप्लीकेशन के उद्देश्य से स्टेट पोर्टल को एन0एस0पी पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना है। डी-डुप्लीकेशन हेतु एन0एस0पी पोर्टल से इंटीग्रेशन किये जाने पर छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति की कई योजनाओं में एक साथ लाभ लिये जाने के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
4. सभी शिक्षण संस्थानों के प्रकार यथा-राजकीय, अनुदानित व निजी की स्थिति को पोर्टल पर कैचर किया जाना है। इस कार्यवाही हेतु शिक्षण संस्थाओं के इंस्टीट्यूट नोडल आफिसर के स्तर से कार्यवाही की जानी है।
5. सभी शिक्षण संस्थानों की जियो टैगिंग पूर्ण करायी जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनीता सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, उपाध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति लखनऊ।
- 4- उपनिदेशक समाज कल्याण लखनऊ मण्डल लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

ई-मेल/शीर्ष प्राथमिकता

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक- ८-११५७

/स0क0/शिक्षा-अ/9/ /2025-26,

लखनऊ: दिनांक: ०३ जून, 2025

- 1- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 29-05-2025 द्वारा अनुसूचित जाति पूर्वदशम व अन्य तथा अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर वर्ष 2025-26 में कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं, जिसमें से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना है :-

- 1- Apar Id (Automated Permanent Academic Account Registry) को भारत सरकार में डाटा शेयर करते समय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में यह फील्ड ऑप्शनल है। अपार आईडी0 को कैचर करने के लिए छात्रवृत्ति के पोर्टल को सम्बन्धित शिक्षा विभागों से इंटीग्रेट कराया जाना है।
- 2- SNO/DNO/INO/HOI तथा छात्रों का आधार बेस बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन व ई-केवाई0सी0 इस वर्ष से अनिवार्य किया गया है।
- 3- One Time Registration (OTR) व डी-डुप्लीकेशन के उद्देश्य से स्टेट पोर्टल को एन0एस0पी0 पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना है। डी-डुप्लीकेशन हेतु एन0एस0पी0 पोर्टल से इंटीग्रेशन किये जाने पर छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति की कई योजनाओं में एक साथ लाभ लिये जाने के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
- 5- सभी शिक्षण संस्थानों के प्रकार यथा- राजकीय, अनुदानित व निजी की स्थिति को पोर्टल पर कैचर किया जाना है। इस कार्यवाही हेतु शिक्षण संस्थाओं के इंस्टीट्यूट नोडल आफीसर के स्तर से कार्यवाही की जानी है।
- 6- सभी शिक्षण संस्थानों की जियो टैगिंग पूर्ण करायी जानी है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के एन0एस0पी0 पोर्टल पर पुश होने से फेल्ड डाटा पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। एन0आई0सी0 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी की लागिन पर फेल्ड डाटा के कारणों को भरने की व्यवस्था की गयी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के अनुपालन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT
Date: 03-06-2025

(17:26:13)
कुमार प्रशान्त
निदेशक